संख्या- 16 /2017/65/30-3-17-6बी/2014

प्रेषक,

सीताराम यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊः दिनॉक 31 मार्च, 2017

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 27-12-2016 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1932स0सु0/2017-73स0सु0/2015, दिनॉक 02-01-2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 27-12-2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में सड़क सुरक्षा कोष में प्राविधानित धनराशि रू0 2955.00 लाख में से राजस्व मद में व्यय हेतु रू0 690.55 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में राजस्व मद से धनराशि रू0 220.85 लाख (रू0 दो करोड़ बीस लाख पचासी हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2016-17 में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य हेतु उनके सम्मुख विवरण एवं धनराशि के अनुसार व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	प्रस्तावित कार्य	अनुमोदित परिव्यय	कुल योग (रू0 लाख में)
1	2	3	4
1	परिवहन विभाग के प्रवर्तन कर्मचारियों के चेकिंग के दृष्टिगत टार्च क्रय किया जाना	425 x 1000	4.08
2	रेट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट	425 x 2100	8.92
3	174 ब्रेथ एनालाइजर का क्रय	174 x 25000	43.55
4	सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार	85.00	85.00
5	एफएम/रेडियो सिटी आदि पर सुरक्षा नियमों का प्रचार-प्रसार एवं टेलीविजन पर स्नैक शॉट	4.30	4.30
6	सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक जनपद हेतु 2500 पत्रिका का प्रकाशन। औसत मूल्य प्रति पत्रिका रू0 40/-	2500 x 75 x 40	75.00
	योग =		220.85 (रू0 दो करोड़ बीस लाख पचासी हजार मात्र)

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनॉक 14-03-2014 व कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 तथा क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(4) उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

संख्या-16/2017/65(1)/30-3-2017, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in